कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रॉकः– 4969 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 07/08/ 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वाराः– निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।
विषयः– प्रस्तावित नौटी छातोली जखेट मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1	In the reply to point No.3 of EDS, the details of the technical and geographical reasons for not opting alternate alignment have not been given.	इस मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक सेखेखण का डिजिटल मानचित्र में नीली रेखा से दर्शाया गया है। नीली रेखा के अन्त में भवन आने तथा मोटर मार्ग हेतु उपयुक्त स्थल न मिलने के कारण कम दूरी तक ही दर्शाया गया है। वैकल्पिक संरेखण से हैयर वैण्ड की संख्या 2 है। डिजिटल मानचित्र मैप पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
2	In the reply to point No. 4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of the shape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. But, the CD has not been received in this office so far.	.shp file की CD प्रस्तावक विभाग के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
3	With reference to the reply submitted against point No. 6 & 7 of EDS, this is to be stated that the scheme for planting of 940 seedlings of Banj & Moru etc. has been submitted now. The estimated amount is calculated as Rs. 21,53,882/- only which appears to be very much on higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected affected trees is shown as 51 in the online Part-II and 36 trees above 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of project affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh	पार्ट II में आवश्यकतानुसार सुधार किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्राक 189/ 1 सी वन दिनांक 17–05–2017 की छायाप्रति प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 589 /1सी0 (वन) दिनांक 17/ 5 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12840 /2015 नौटी–छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार के निर्माण हेतु 0.170 हे0 सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका ई0डी0एस0 दिनांक 28.04.2017 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1456 / 1 सी0 वन दिनांक 08.9.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नौटी–छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है।

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1	In the reply to point No. 3 of EDS, the details of the technical and geographical reasons for not opting alternet have not been given.	उक्त मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण का डिजिटल मैप मे नीली रेखा से दर्शाया गया है। नीली रेखा के अन्त में भवन आने तथा मोटर मार्ग हेतु उपयुक्त स्थल न मिल पाने के कारण कम दूरी तक ही दर्शाया गया है। वैकल्पिक संरेखण मे हेयरपिन बैण्ड की सं0 2 है। डिजिटल मैप उक्त संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व मे प्रेषित कर दिया गया है। संलग्न– डिजिटल मैप PDF format (पेज नं0 –2)
2	In the reply to point No. 4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of theshape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. But, the CD has not been received in this office so far.	Shape file की CD संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न– Shape file सी0डी0 1 नं0
3	With reference to the reply submitted against point No. 6 & 7 of EDS, this is to be statedthat the scheme for planting of 940 seedlings of Banj & Moru etc. has been submitted now.The estimated amount is calculated as Rs. 21,53,882/- only which appears to be very muchon higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected affected trees is shown as 51 in the online Part-II and 36 trees above 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of project affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh.	इस बिन्दु से सम्बन्धित उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
17/5/17
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0